कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / छा.प्रो.प्र. / निजी / 2016–17 / दिनांक : 20.07.2016

समस्त प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य
रामावि / राबामावि / राउमावि / राबाउमावि

विषय : विद्यार्थियों के बैंक खातों को आधार योजना से जोड़े जाने के क्रम में।
प्रसंग : शासन का पत्रांक – पं.19(3)शिक्षा–6 / 2008 जयपुर दिनांक–15.06.2016

संस्थाप्रधान जी,

जैसा कि आपके संज्ञान में होगा कि Aadhar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। देश में 101 करोड़ से अधिक नागरिकों को आधार पहचानपत्र जारी किए जा चुके हैं। आधार को भारत सरकार द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाओं में पहचान के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है जिसमें कि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं भी सम्मिलित हैं। आधार के इस महत्त्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि 100% विद्यार्थियों का आधार पहचानपत्र हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विद्यालय में आधार नामांकन शिविर लगवा कर समस्त विद्यार्थियों के आधार पहचानपत्र अविलम्ब बनवाएं। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन से वांछित सहयोग जिला शिक्षा अधिकारी जी के माध्यम से लिया जा सकता है।

इसी क्रम में अगला कार्य यह भी किया जाना है कि विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से लिंक हो जाए। इसके लिए विद्यालय अभिभावकों को जागृत करें साथ ही साथ विद्यालय द्वारा चिह्नित / दायित्त्ववान अध्यापक स्वयं भी बैंक से सम्पर्क कर समस्त विद्यार्थियों के बैंक खाते खुलवा कर आधार से जोड़ा जाना सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों के अभाव में छात्रवृत्ति प्राप्त होने में संशय रहेगा अतः उक्त कार्य निष्ठा एवं लगन से किया जाना अपेक्षित है। दिनांक 19.07.2016 की वी.सी. में माननीय नरेशपाल जी गंगवार, शासन सचिव शिक्षा ने यह कार्य 31.07.2016 तक लक्ष्य बनाकर पूरा करने के निर्देश प्रदान किए हैं। इस कार्य को आप पूरे मनोयोग से यथासमय सम्पन्न कर लेंगे इसी विश्वास के साथ।

20/7/16
(संजय संगर)
सहायक निदेशक
छात्रवृत्ति एवं प्रात्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. उपशासन सचिव, राजस्थान सरकार, शिक्षा ग्रुप–6 विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. उपमहानिदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली।
3. समस्त मण्डल उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम / द्वितीय को क्षेत्राधीन प्रत्येक विद्यालय में कार्य यथासमय सम्पन्न करवाने के दायित्त्वबोध के साथ प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु।

20/7/16
सहायक निदेशक
छात्रवृत्ति एवं प्रात्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर